PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक : 664 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांक : 19 .05.2022

कार्यालय ज्ञाप

पिटकुल निदेशक मण्डल की दिनांक 29.03.2022 को सम्पन्न 79वीं बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा आईटम सं0 79.11 "Proposal for payment of Transmission Incentive to all regular employees of PTCUL including whole time Directors, employees under Probation and Training, under Contract and UPNL/PRD/ SHG staff for the FY 2019-20" के क्रम में निदेशक मण्डल द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 में पिटकुल के पूर्णकालिक निदेशक, नियमित कार्मिक, अस्थाई एवं प्रशिक्षणरत कार्मिक तथा उपनल / पी0आर0डी0 / एस0एच0जी0 के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु निम्नांकित व्यवस्थानुसार प्रोत्साहन राशि (Transmission Incentive) प्रदान किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु उपरोक्त प्रोत्साहन राशि (Transmission Incentive) पूर्णकालिक निदेशक, नियमित कार्मिक, अस्थाई एवं प्रशिक्षणरत कार्मिकों को उनकी वर्ष 2019–20 की के0पी0आई0 आधारित अथवा गैर के0पी0आई0 आधारित वार्षिक गोपनीय आख्याओं में स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गयी अभ्युक्ति के विरूद्ध, निम्नांकित तालिका में दी गयी गणना के अनुसार देय होगा :–

Overall Marks obtained in Performance Appraisal Report (PAR) (employees covered under KPI's)	Evaluation of Annual Confidential Report (ACR) by final authority (employees not covered under KPI's)	Proposed amount of incentive to be distributed			Amount to be distributed per employee
		Factor	Actual	Round Figure	
1	2	3	4	5	6
Below 40	Unsatisfactory	-	-	-	-
41-55	Satisfactory	65%	100%	100%	Rs. 9800.00
56-70	Good	80%	123%	120%	Rs.11760.00
71-85	Very Good	90%	138%	135%	Rs. 13230.00
86 and above	Outstanding/Excellent	100%	154%	150%	Rs. 14700.00

2. वित्तीय वर्ष 2019–20 में निम्नांकित कार्मिक प्रोत्साहन राशि (Transmission Incentive) हेतु पात्रता निम्नवत् होगी :–
   - क– प्रोत्साहन राशि (Transmission Incentive) वित्तीय वर्ष में कार्मिक की उपस्थिति, वैतनिक अवकाश तथा आकस्मिक अवकाश पर यथानुपात (Pro-rata basis) **पर** देय होगी। उक्त अवकाश के अन्यत्र अवकाशों को प्रोत्साहन राशि हेतु नहीं जोडा जायेगा।
   - ख– प्रोत्साहन राशि (Transmission Incentive) वित्तीय वर्ष 2019–20 में उन्हीं कार्मिकों को अनुमन्य होगा जो कि पूरे वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार का दण्ड / शास्ति / निन्दा प्रविष्टि / निलम्बन इत्यादि से पूर्णरूप से मुक्त रहे हो।
   - ग– वित्तीय वर्ष 2019–20 में बर्खास्त / सेवा समाप्त किये गये कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि (Transmission Incentive) अनुमन्य नहीं हागा।
   - घ– ऐसे कार्मिक जिन्हें वित्तीय वर्ष 2019–20 में आरोप पत्र निर्गत किये गये हों को वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रोत्साहन राशि (Transmission Incentive) उनके विरूद्ध संस्थित प्रकरण में अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त यदि उन्हें प्रकरण में दोषमुक्त किया जाता है, के उपरान्त ही अनुमन्य होगी।

क्रमशः......पेज–2 / –

ङ– कार्मिक जिन्हें वित्तीय वर्ष 2019–20 में के0पी0आई0 अधारित गोपनीय आख्या में 40 प्रतिशत अथवा उससे कम अंक अथवा ''असंतोषजनक'' अभ्युक्ति प्राप्त हुई है को प्रोत्साहन राशि (Transmission Incentive) अनुमन्य नहीं होगी।

3. वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रोत्साहन राशि की (Transmission Incentive) सामान्य शर्तें :–

अ– सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि (Transmission Incentive) सम्बन्धित कार्मिक के वेतन का अंश होगी, जिस पर आयकर के प्राविधानों के अनुसार आयकर लागू होगा।

ब– प्रत्येक कार्मिक को उनकी वित्तीय वर्ष 2019–20 की के0पी0आई0 आधारित वार्षिक गोपनीय आख्याओं में प्राप्त अभ्युक्ति अंतिम होगी।

स– वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि (Transmission Incentive) प्रदान किये जाने तथा उक्त के सम्बन्ध में कोई अन्य प्राविधान लागू किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल का निर्णय अन्तिम होगा।

4. सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि वह वित्तीय वर्ष 2019–20 की के0पी0आई0 आधारित एवं गैर के0पी0आई0 आधारित गोपनीय आख्याओं में स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा प्रदान की गई प्रविष्टि के अनुसार कार्मिकों को उपरोक्त बिन्दु संख्या–1 में वर्णित तालिका के कॉलम संख्या– 6 में वर्णित धनराशि के अनुसार प्रोत्साहन राशि (Transmission Incentive) का भुगतान करेंगे।

5. चूँकि संविदा कार्मिकों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियाँ अंकित नहीं की जाती है, अतः उपनल / पी0आर0डी0 / एस0एच0जी0 के माध्यम से नियोजित संविदा कर्मियों को एक समान धनराशि रू0 8,363.00 (रू0 आठ हजार तीन सौ तिरसठ मात्र) देय होगी।

6. पिटकुल के नियमित, अस्थाई एवं प्रशिक्षणरत कार्मिकों की वित्तीय वर्ष 2019–20 की के0पी0आई0 आधारित एवं गैर के0पी0आई0 आधारित गोपनीय आख्याओं में स्वीकृता अधिकारी द्वारा प्रदान की गई प्रविष्टि की सूची सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी को पृथक से प्रेषित की जायेगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से।

पत्रांक : 664 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निदेशक (वित्त) / (परिचालन) / (परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल, ...।
4. समस्त आहरण वितरण अधिकारी / समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल........................।
5. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश कारपोरेशन की वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

(अनिल कुमार)
प्रबन्ध निदेशक